संख्याः /XVII-B-1/2025–09(01)/2024 E-78645

प्रेषक,

डॉ0 पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः जुलाई, 2025**

विषय–केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में ली गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति (Recoup) किये जाने हेतु कम पड़ रही धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–**13/49/2021-MsDP-MOMA**, दिनांक 25.03.2025 के द्वारा केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (90:10) योजनान्तर्गत गतिमान परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 55,00,00,000/– करोड़ धनराशि अवमुक्त की गयी थी, किन्तु प्रश्नगत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में संगत मद में पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 55,00,00,000/– के सापेक्ष ₹ 49,00,00,000/– एवं आनुपातिक राज्यांश की धनराशि ₹** 6,11,11,111/– करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,99,99,877/– अर्थात इस प्रकार कुल धनराशि ₹ **52,99,99,877/–** (₹ बावन करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) **को** वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासनादेश संख्या–220/**XVII-B-1**/2025–09(01)/2024, दिनांक 30 मार्च, 2025 के द्वारा 'राज्य आकस्मिकता निधि' से अग्रिम के रूप में ली गयी थी।

2– उक्तानुसार राज्यांश के सापेक्ष अग्रिम के रूप में ली गयी धनराशि ₹ 3,99,99,877/– की प्रतिपूर्ति (Recoup) वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक ''4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–04– अल्पसंख्यकों का कल्याण–277–शिक्षा–95–केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश–95 01–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (10%)'' के मानक मद '14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए. में अन्तरण' में करने हेतु कम पड़ रही धनराशि **₹ 3,99,99,877/–(₹ तीन करोड निनानवे लाख निनानवे हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र)** का बी0एम0–9 के अनुसार 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के मानक मद '71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश' से पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– प्र0वि0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध है। तत्पश्चात ही समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि अवमुक्त/व्यय की जायेगी।

5– संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–277–शिक्षा–01–केन्द्र सहायतित योजना–0101–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90:10% के0स0)'' के मानक मद '71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश' में संलग्न **'बी0एम0–9'** में उल्लिखित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/317106/2025, दिनांक 25 जुलाई, 2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by Parag Madhukar Dhakate
Date: 01-08-2025 12:24:53

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।

संख्या : ( )/XVII-B-1/2025–09(01)/2024 E-78645 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. राज्य योजना आयोग।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।

अनुदान संख्या–15 (राजस्व)
मुख्य लेखाशीर्षक – 4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्षक – 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण
लघु शीर्षक – 277–शिक्षा
उप शीर्षक – 01 01–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90:10% के0स0)
विस्तृत शीर्षक – 00–

(धनराशि ₹ हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		**निम्नलिखित को प्रस्तावित अंतरण**				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्षक(15 अंकीय कूट में) आयोजनेत्तर	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचत	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक(15 अंकीय कूट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या–15 (राजस्व) 4225–अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय– 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण– 277–शिक्षा– 01–केन्द्र सहायतित योजना– 01 01–प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (90:10% के0स0) के						**अनुदान संख्या–15 (राजस्व)** 4225–अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय– 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण– 277–शिक्षा– 95–केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश– 95 01–प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (10%) के					
मानक मद–						**मानक मद–**					
71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	70000	70000	39999.877			14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	1	40000.877	39999.877	39999.877	40000.877
योग–	**70000**	**70000**	**39999.877**			**योग–**	**1**	**40000.87**	**39999.877**	**39999.877**	**40000.877**

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

अशा0:.....दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या : ( )/XVII-B-1/2025–09(01)/2024 E-78645 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राज्य योजना आयोग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।